

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
 दिनांक 08/02/17

14.2.18

~~पत्रावली पेश हुई। वकालत सप.
 अनुपस्थित पी.एस. अधिकारी
 दौरे पर। अन्य कार्य संपन्न।
 पत्रावली को अदालत में
 दिनांक 10.2.18 को पेश है।~~

24/04/18

पत्रावली (पत्र) से पत्रावली क्रम
 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान
 न्याय आपके द्वार-2-0-18 में रखे जाने
 योग्य पायी जाने पर केंद्र स्थल अदालत
 सेवा केंद्र प्रोहारा में पेश है।

10/05/18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अधिकारी
 न्याय आपके द्वार कार्यक्रम 2018 के तहत
 सैन्य स्थल अदालत सेवा केंद्र-चौक प्रोहारा
 में पेश हुई। पूर्व में दिनांक 24/04/18 को सह-
 सीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विस्तृत विभाजन
 उस्ताव को अभिलेख पर लिया जाता है। वकील
 एवं उतिवारी संख्या 1 ने दायर होकर विस्तृत
 विभाजन उस्ताव से सहमति जाहिर करते हुए
 मुताबिक विस्तृत विभाजन उस्ताव उजाला में
 अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निर्बंध किया
 गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व
 रिपोर्ट एवं आर्थिक डिक्री की पालना में प्राप्त
 विस्तृत विभाजन उस्ताव का अवलोकन किया
 गया। मुंशी किरायेत पत्रावली विस्तृत विभाजन
 उस्ताव से सहमत है। अतः वकील का वाद
 मुताबिक विस्तृत विभाजन उस्ताव अंतिम नौका
 डिक्री किया जाता है। विस्तृत विभाजन उस्ताव
 अन्तिम डिक्री का प्राण रहेगा। मुताबिक
 विस्तृत विभाजन उस्ताव राजस्व रिपोर्ट में
 अमल दायर है तथा तयनुसार प्रण (1)



नम्बर
अहकाम
हुकम के
में ज



हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

में पचा डिक्री गरी है । पत्राबली के सल राजर
हीकर नक्कर से कम हो तपा क्या तलमील
याखिल इतर है निर्णय मजमें आम सुनाया
गया 1/10/18

राख शाख
(RAS)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) चण्डेला

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) मुकाम खण्डेला

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाव, RAS

① सीताराम * : * उनवान
बनाम ① कीर्त पत्र मंगलाराम * : *

दावा बाबत स्वीकृति व तल्लहा एवं त्वारी निपटारा

मुकदमा नम्बर :- 80/2017

निर्णय दिनांक :- 10-05-2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री भागीरथ शाव, RAS व हाजिरी

मिनजानिब मुददई रूबरू श्री अमर सिंह चौधरी Ad.

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -
वादी का वाद मुताबिक विस्तृत विभाजन अंतिम तपेण डिक्री किया जाता है।
विस्तृत विभाजन उस्ताव अंतिम डिक्री का भाग होगा। मुताबिक
विस्तृत विभाजन उस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में जमल दायमद है।

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।
यह आज दिनांक 10-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी



सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
खण्डेला (सीकर)

वाद के खर्चे		प्रतिवादी	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			
4 रुपये पर प्लीडर की फीस			
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय			
6 कमिश्नर की फीस			
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	



ॐ पुत्र मंगलराम जात्रि जाट निवासी डाणी जोहडावानी
तन ग्राम धीजपुरा तहसील श्रीमधोपुर जिला-सीकर (राज.)

—(वादी)

ॐ जात्रि जाट निवासी जोड़ी कालासागर तन ग्राम धीजपुरा
तहसील श्रीमधोपुर जिला सीकर (राज.)

② भूमिधारी तहसीलद्वारा श्रीमधोपुर जिला सीकर (राज.)

③ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा सीकर जिला सीकर (राज.)
—(प्रतिवादीगण)

1/1/18
भागीरथ दास
(RAS)
सहायक कमिश्नर
(फास्ट ट्रॅक) खण्डेला